विवाह एक बड़ा फैसला है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप पता लगा सकते/ती हैं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं

विवाह एक रोमांचक समय हो सकता है, लेकिन यह एक बड़ा निर्णय भी है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे किसी को भी हल्के में लेना चाहिए। और कभी-कभी विवाह का विचार भी हमें तनावग्रस्त या चिंतित महसूस करा सकता है। अगला कदम उठाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी विकल्पों पर विचार करें, अपने अधिकारों को जानें, तथा इस बारे में गहराई से सोचें कि विवाह आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि क्या यह आपके लिए सही समय, सही व्यक्ति या सही कदम है।

हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं

- महिलाओं के आत्मनिर्णय को सशक्त बनाकर
- असमानता और नुकसान के मुद्दों पर मानवाधिकार दृष्टिकोण अपनाकर
- ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में समानता का पक्ष-समर्थन करने और इसके लिए शिक्षा देने हेतु व्यक्तियों, समुदायों और सरकार के साथ काम करके

ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम महिला मानवाधिकार केंद्र

टेलीफ़ोन: 03 9481 3000

ईमेल: reception@amwchr.org.au

पोस्ट: PO Box 826 North Melbourne VIC 3051

रेफरल: intake@amwchr.org.au

हमारी सभी सेवाओं और पक्ष-समर्थन कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए www.amwchr.org.au **पर जाएं**

Australian Muslim Women's Centre for Human Rights
Equality without Exception

Hindi | हिन्दी

Australian Muslim Women's Centre for Human Rights
Equality without Exception

क्या आप हाल में विवाह के बारे में सोच रहे/ही हैं?

सबसे पहले - विवाह के बारे में कानून क्या कहता है?

ऑस्ट्रेलिया में कानूनी विवाह कानूनी आयु के दो व्यक्तियों के बीच होता है, जो विवाह के लिए सहमति देते हैं। सहमति का अर्थ है कि विवाह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से समझता है कि विवाह हो रहा है, वह जानता है कि वह किससे विवाह कर रहा/ही है, और वह विवाह के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति देता/ती है। विवाह की सहमति देने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विवाह के लिए 'स्वतंत्र रूप से सहमत' होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति विवाह करना चाहता है और उसे स्वीकार करता है। यदि किसी को धमकी, दबाव, झूठ, चालबाजी या हिंसा के माध्यम से 'सहमत' होने के लिए मजबूर किया गया है, तो यह सहमति नहीं होती है। जिस विवाह में सहमति नहीं होती है, वह कानून के विरुद्ध है।

एरेंज्ड मैरिज के बारे में क्या?

कुछ समुदायों में माता-पिता, परिवार या समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा विवाह की व्यवस्था करना आम बात हो सकती है। व्यवस्थित विवाह (एरेंज्ड मैरिज) में जीवनसाथी को चुनने या सुझाव देने का अधिकार माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को दिया जाता है, लेकिन विवाह करने वाले लोगों के पास फिर भी यह विकल्प होता है कि वे 'नहीं' या 'हां' कहें। दबाव किसी एरेंज्ड मैरिज का हिस्सा नहीं है और यदि आप 'नहीं' कहने में डर महसूस करते/ती हैं, या ऐसा महसूस करते/ती हैं कि आप 'नहीं' नहीं कह सकते/ती हैं, तो हो सकता है कि आप दबाव या जबरदस्ती का अनुभव कर रहे/ही हों।

कभी-कभी आपके आस-पास के लोग धर्म का इस्तेमाल करके भी आप पर विवाह करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, किंतु यह धर्म का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। वे किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के हकदार हैं और यह अधिकार इस्लामी विवाह का एक मूलभूत हिस्सा है।

विवाह के बारे में अपना निर्णय स्वयं लेना

विवाह के बारे में सोचते समय आप स्वयं से कुछ प्रश्न पूछ सकते/ती हैं, ताकि यह निर्णय लेने में आपको मदद मिल सके कि यह आपके लिए सही निर्णय है या नहीं:

- क्या मैं अपने आप को इतना अच्छी तरह जानता/ती हूँ कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी और अंतरंग संबंध स्थापित कर सकूँ?
- छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए मेरे लक्ष्य क्या हैं, और विवाह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की मेरी क्षमता को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है?
- क्या यह व्यक्ति मेरे लिए सही व्यक्ति है? क्या हमारे मूल्य समान हैं? क्या वे मुझे जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेंगे?
- क्या मेरे भावी जीवनसाथी के पास मुझसे अधिक शक्ति और नियंत्रण है? उदाहरण के लिए, क्या उनकी उम्र मुझसे अधिक है? क्या मैं आर्थिक रूप से उन पर निर्भर रहूंगा/गी? क्या उनके पास वह प्रवासन स्थिति या सामाजिक स्थिति है, जो मेरे पास नहीं है? यदि हां, तो मेरे भविष्य के विकल्पों और लक्ष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
- क्या मैं परिवार और समुदाय की अपेक्षाओं को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रख रहा/ही हूँ?
- यदि मैं अभी विवाह न करूं, या 'नहीं' कह दूं तो क्या होगा?
- क्या मेरी उम्र विवाह के लिए ठीक है?

विवाह करना आपकी पसंद है

यदि आप सहमति देने के लिए कानूनी उम्र के/की हैं, यदि आप स्वतंत्र रूप से विवाह करना चाहते/ती हैं, और यदि आपने छोटी अवधि और लंबी अवधि में इस निर्णय के प्रभावों पर विचार किया है, तो आपके पास इसके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, यदि आप किसी दबाव का अनुभव कर रहे/ही हैं, या यदि आप सोचते/ती हैं कि अभी आपके लिए सही समय नहीं है, तो आपके पास 'नहीं' कहने का अधिकार है।

यदि आप आगामी विवाह को लेकर तनावग्रस्त, चिंतित या अनिश्चित महसूस कर रहे/ही हैं, या यदि आपको विवाह के लिए 'नहीं' कहने में कोई चिंता है, तो ऐसी सेवाएं उपलब्ध हैं जिनसे आप सहायता प्राप्त कर सकते/ती हैं। इन सेवाओं के कर्मचारी आपकी आवश्यकताओं को सुनने और उनका समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।

नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, जिनपर आप अधिक जानकारी और गोपनीय सहायता के लिए कॉल कर सकते/ती हैं

ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम महिला मानवाधिकार केंद्र – 03 9481 3000

दि साल्वेशन आर्मी – 1800 000 277

Life Without Barriers – 1800 403 213

ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस – 03 9345 1800